प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक 13.09.2023

जनपद अम्बेडकरनगर थाना अहिरौली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0-219/2023 धारा 302/201 भादवि में प्रकाश में आए एक नफर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01अदद कुदाल (आलाकत्ल) बरामद।

जनपद पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के क्रम में दिनांक 14.09.2023 को थाना अहिरौली पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 219/2023 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश मे आये वांछित अभियुक्त संतलाल पुत्र फेंकू निवासी ग्राम धनीपट्टी अटवाई थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 58 वर्ष को समय करीब 23.45 बजे ग्राम हाथपाकड़ पंचायत भवन के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद कुदाल आलाकत्ल को नियमानुसार बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का संक्षिप्त विवरण—दिनांक 06.09.2023 को ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश पटेल पुत्र विश्राम पटेल निवास ग्राम अटवाई थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि अविनाश चन्द्र पाठक s/o स्व दयाराम पाठक के गन्ने के खेत में एक प्लास्टिक के बोरे में बंधी हुयी जो अज्ञात सड़ी गली जो मनुष्य की लाश प्रतीत हो रही है उक्त सूचना पर अहिरौली पुलिस टीम द्वारा मौके पर पंहुचकर बोरे को खुलवाकर देखा गया तो एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद हुयी। बरामदशुदा लाश के सम्बन्ध मे फोटोग्राफ के माध्यम से शिनाख्त करवायी गयी तो बरामदशुदा लाश मृतक नेक्शू यादव पुत्र स्व0 रोहन यादव उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम परसेरा थाना बिसौली जनपद बदायूं के रुप में हुयी। उक्त मृतक नेक्शू यादव की महिला मित्र राधा की लाश भी थानाक्षेत्र महाराजगंज जनपद अयोध्या मे बरामद हुयी थी उक्त बरामद शव के सम्बन्ध में थाना महाराजगंज अयोध्य मे मु0अ0स0-268/2023 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत है उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त नन्हे सिंह को पुलिस चेकिंग के दौरान थाना गोशाईगंज जनपद अयोध्या पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त गिरफ्तार किया गया था जिस सम्बन्ध मे थाना गोशाईगंज मे मु0अ0स0-244/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है। मृतक नेक्शू यादव के शव बरामदगी के आधार पर थाना अहिरौली में मु0अ0स0-219/2023 धारा 302/201 भादवि बनाम नन्हे व अज्ञात साथी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष अहिरौली द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान अभियुक्त संतलाल पुत्र फेंकू निवासी ग्राम धनीपट्टी अटवाई थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर का नाम प्रकाश में आया जिसको थाना अहिरौली पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार गिरफ्तार किया गया ।

विवरण नाम पता अभियुक्तगण-

1. संतलाल पुत्र फेंकू निवासी ग्राम धनीपट्टी अटवाई थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 58 वर्ष

विवरण बरामदगी

1. 01अदद कुदाल

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीमः-

01.थानाध्यक्ष गजेन्द्र विक्रम सिंह थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर।

02. का0 राकेश कुशवाहा थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर।

03. का0 नैपाल सिंह थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर।